क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3416/OA No 347/19 दिनांक 13-9-19

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- **judicial-ngt@gov.in** & **ngt.filling@gmail.com**

Sub: **Report in compliance of directions issued by Hon'ble National Green Tribunal in OA No. 347/2019 Hari Kishan Vs State of Uttar Pradesh & Ors. on 04.07.2019**

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on 04.07.2019 by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in OA No. 347/2019 Hari Kishan Vs State of Uttar Pradesh & Ors the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely,

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to :

1. District Magistrate, Ghaziabad for information
2. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
5. Chief Environmental Officer (Circle – 1), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information

Regional Officer

Scanned by CamScanner

Report in compliance of directions issued by Hon'ble National Green Tribunal in OA No. 347/2019 Hari Kishan Vs State of Uttar Pradesh & Ors. on 04.07.2019

The matter is regarding encroachment in the park at Khasra No. 852, DLF Dilshad Extension II abutting Gali No. 1, Rajiv Colony, Bhopura, Shahibad, Ghaziabad. Hon'ble Tribunal in its order dated 29.03.2019 had passed following orders:

"....Before we consider the matter, we find it necessary to seek a report from a joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (State PCB), Ghaziabad Development Authority and Ghaziabad Nagar Nigam in the matter......"

In compliance of orders of Hon'ble Tribunal, the site was inspected on 04.05.2019 by nominated officers of UPPCB, Nagar Nigam, Ghaziabad and Ghaziabad Development Authority along with the petitioner. Shops and couple of industries were found operational on said site at the time of inspection by joint Committee and inspection report was submitted in Hon'ble Tribunal.

The report of the Committee was considered by Hon'ble Tribunal during subsequent hearing in the matter on 04.07.2019 and following orders were passed:

".....3. There is no material to show whether the closure has been given effect to and the park has been restored.

4. In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committee of the District Magistrate, Ghaziabad, Vice Chairma, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Uttar Pradesh State PCB and the Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure restoration of the park at the earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within one week to take stock of the situation and plan execution of this order. This will be in addition to prosecution and recovery of compensation for the damages to the environment. In this respect also, a report may be furnished by the Uttar Pradesh State PCB by email at judicial-ngt@gov.in....."

Scanned by CamScanner

Thereafter, letters were issued to Executive Engineer, UPPCL by Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad for disconnection of electricity of both illegally operating industries, namely, M/s Tahir Siddiqui and M/s Aakash Gartex on 06.07.2019 to ensure that they do not operate clandestinely, copy of receiving of said letters is annexed as *Annexure I*. Subsequently, the said industries were inspected on 09.07.2019 by a team of UPPCB and electricity department. Although both industries were found closed at the time of inspection, electricity connection was disconnected by the team to give effect to closure as directed by Hon'ble Tribunal. Copy of proof of disconnection is annexed as *Annexure II*. The said site was again inspected by officers of UPPCB on 28.08.2019 and it was verified that both illegal industries are closed and electricity connection is disconnected. Directions to said industries have also been issued vide Board's letter dated 11.09.2019.

In compliance of Hon'ble Tribunal's orders, a meeting was to be called within one week to take stock of the situation and plan future execution, a letter regarding same was sent by Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board to District Magistrate, Ghaziabad on 12.07.2019, copy of the said letter is annexed as *Annexure III*. Subsequently, a meeting was called by District Magistrate, Ghaziabad on 20.07.2019 at 12:00 PM in his chamber at Collectorate, Ghaziabad, copy of the letter informing all concerned about the meeting is annexed as *Annexure IV*.

The said meeting was chaired by District Magistrate, Ghaziabad and attended by Municipal Commissioner, Ghaziabad Nagar Nigam, Additional District Magistrate (City), Ghaziabad, Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Sadar, Ghaziabad and representatives of Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, Senior Superintendent of Police and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board. In the meeting, officer from Ghaziabad Development Authority was instructed to decide the date on which anti-encroachment drive in said area has to be carried out so that all Committee members could be present and ensure that encroachment from said area is removed within the timeline as per directions of Hon'ble Tribunal. Also, Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Sadar was directed to ensure that necessary police force is available at the time of anti-encroachment drive to manage law and order situation. Besides this, Ghaziabad Development Authority

Scanned by CamScanner

was also instructed to make an action plan for restoration of park and ensuring that same is done within the timeline as per directions of Hon'ble Tribunal. Copy of minutes of said meeting is annexed as *Annexure-V*.

Following the above meeting, Enforcement (In-Charge), Work Circle- 08 of Ghaziabad Development Authority has vide his letter dated 23.07.2019 issued notices to 13 illegal establishments to remove illegal encroachment on the said park within one week as per laid down rules in Uttar Pradesh Urbal Planning and Development Act, 1973 failing which necessary action shall be taken by Authority. Details of 13 illegal establishments identified by Development Authority are as below:

i) Shri Tahir Siddiqui, 624, Gali No. 1, Rajiv Nagar, Sahibabad, Ghaziabad

ii) Shri Munne Mansoori, A-202, Rajiv Colony, Bhopura, Sahibabad, Ghaziabad

iii) Shri Chander Singh Kasana, P.No. 3 & 4 (C-Shop) DLF, Dilshad X-02, Sahibabad, Ghaziabad

iv) Shri Seva Ram S/o Shri Vishambhar, P. No. 1 & 2 (C-Shop) DLF, Dilshad X-02, Sahibabad, Ghaziabad

v) Shri Parvez Pasha, P. No. 4, DLF Colony, Delhi-Bhopura Road, Sahibabad, Ghaziabad

vi) Shri Javed Pasha, P. No. 5, 6 & 7, DLF Colony, Delhi-Bhopura Road, Sahibabad, Ghaziabad

vii) Shri Umesh Jain, A-89, Rajiv Colony, Bhopura, Sahibabad, Ghaziabad

viii) Mohd. Aalam, A-123, Rajiv Colony, Bhopura, Sahibabad, Ghaziabad

ix) Shri Shamshaad, A-93, Rajiv Colony, Bhopura, Sahibabad, Ghaziabad

x) Shri Ajay Pal, Rajiv Colony, Pasonda, Sahibabad, Ghaziabad

xi) Shri Dharmendra, Hansraj, Ramveer and Vinod, Rajiv Colony, Bhopura, Sahibabad, Ghaziabad

xii) Mohd. Aslam, A-89, Rajiv Colony, Bhopura, Sahibabad, Ghaziabad

xiii) Shri Ram Pal, Vinod and Jeetendra, Rajiv Colony, Bhopura, Sahibabad, Ghaziabad

Scanned by CamScanner

Copy of notices issued by Ghaziabad Development Authority to above mentioned 13 illegal establishments has been annexed as *Annexure-VI*. Thereafter, after the expiry of notice period of one week to illegal encroachers, Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad has written a letter to Vice-Chairman, Ghaziabad Development Authority on 05.08.2019 seeking compliance report with regards to directions of Hon'ble Tribunal vide order dated 04.07.2019 and directions issued by District Magistrate during the meeting held in compliance of above mentioned order of Hon'ble Tribunal on 20.07.2019, copy of the said letter is annexed as *Annexure VII*. Subsequently, the said site was inspected by officers of Board on 28.08.2019 and illegal encroachment was observed as before, copy of inspection report is annexed as *Annexure VIII*.

Ghaziabad Development Authority in its letter dated 02.08.2019 addressed to Officer on Special Duty – Legal (In-Charge) has requested that Counsel appearing on for Ghaziabad Development Authority may seek time in Hon'ble Tribunal during next date of hearing i.e. 16.09.2019 as removal of illegal structures and restoration of park is to be done only after encroachers are removed from site and same has not happened yet, copy of said letter is annexed as *Annexure IX*.

District Magistrate, Ghaziabad taking a strong view on non-compliance of Hon'ble Tribunal's directions has written a letter to Vice-Chairman, Ghaziabad Development Authority on 06.09. 2019 to ensure compliance of Hon'ble Tribunal's orders and also fix responsibility of concerned officers of Ghaziabad Development Authority and furnish their details to his office because of whom compliance of orders could not be done within defined time line, so that same may be communicated to Hon'ble Tribunal. Copy of said letters of District Magistrate is annexed as *Annexure X*.

District Magistrate, Ghaziabad again held a meeting with Sub-Divisional Magistrate, Tehsil- Sadar, Ghaziabad, Suprintendent of Police (City), Ghaziabad, Officer on Special Duty, Ghaziabad Development Authority and Regional Officer, UPPCB, Ghaziabad to review status of compliance of Hon'ble Tribunal's orders. In the meeting, officer from Ghaziabad Development Authority submitted that all procedures have been followed by Authority to identify the area on which

Scanned by CamScanner

encroachment has to be removed and their team shall ensure compliance of Hon'ble Tribunal's orders as soon as the required police force is available. As most of the force is deputed for Ganesh Chaturthi it was decided that compliance be done at earliest before next date of hearing. Copy of minutes of meeting is annexed as *Annexure XI*.

Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board has also issued directions to Vice-Chairman, Ghaziabad Development Authority to ensure compliance of Hon'ble Tribunal's orders vide letter dated 13.09.2019. Copy of letter issued by Member Secretary is annexed as *Annexure XII*.

The report is hereby put up for your perusal and necessary action please.

13/9/19
(Ranjeet Singh)
Junior Engineer
Regional Office
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Ghaziabad

13/09/19
(B. K. Singh)
Assistant Environmental Engineer
Regional Office
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Ghaziabad

Regional Officer

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

(1)

संदर्भ संख्या : 1949/0A-347/19 दिनांक 6-7-19

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/महत्वपूर्ण

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0,
विधुत वितरण खण्ड-6,
गाजियाबाद।

विषयः **मैसर्स आकाश गारटैक्स, डी0एल0एफ0 दिलशाद एक्सटेंशन-2, गली नं-1, राजीव कॉलोनी, भौपूरा गाजियाबाद के विधुत विच्छेदन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में गठित समिति द्वारा इकाई का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.05.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। इकाई नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवासीय क्षेत्र में स्थापित है।

अवगत हो कि मा0 उच्चतम न्यायालय की याचिका सं0 4295/2011 मनोज मिनी राइस मिल व अन्य वनाम स्टेट आफ यू.पी. व अन्य के आदेश दिनांक 23–09–2013 एवं मा0 उच्च न्यायालय के याचिका सं0 34957/2003 श्रीमती मिथलेश जैन वनाम स्टेट आफ यू.पी. व अन्य के आदेश दिनांक 13–08–2003 द्वारा आवासीय क्षेत्र में औधोगिक गतिविधियाँ अनुमन्य नहीं है, के आदेश पारित किये गये है। ज्ञातव्य है कि भू–प्रयोग के विरूद्व संचालित औधोगिक/व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपने पत्रांक सी0एस0–89(1)/9–आ–3–2003–62रिट/2003 द्वारा आवास आयुक्त महोदय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, उपाध्यक्ष महोदय, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र व्यवासायिक गतिविधियों पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह भी अवगत कराना है कि राज्य बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्र में औधोगिक गतिविधि हेतु अनुमति/सहमति प्रदान नही की जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 न्यायालयों के उक्त आदेशों के अनुपालन मे अवैध रूप से आवासीय क्षेत्र डी0एल0एफ0 दिलशाद एक्सटेंशन-2, गली नं-1, राजीव कॉलोनी, भौपूरा गाजियाबाद में स्थापित/संचालित इकाई मैसर्स आकाश गारटैक्स का विधुत कनेक्शन विच्छेदित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

Received by me
Vaibhav Kumar
8/7/19
कार्यालय ... अधिकारी

भवदीय
(signature)
(विवेक रॉय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदया गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(signature)
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

मा0 राष्ट्रीय अधिकरण में योजित ओ.ए. सं. 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट आफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में मैसर्स आकाश गारटेक्स एवं ताहिर सिद्दकी, भौपुरा, गाजियाबाद के विधुत विच्छेदन किये जाने के संबंध में आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय अधिकरण में योजित ओ.ए. सं. 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट आफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में मैसर्स आकाश गारटेक्स, खसरा नं0 852, डी.एल.एफ., दिलशाद एक्स0-2, गली नं0 1, राजीव कालोनी, भौपुरा, साहिबाबाद, गाजियाबाद एवं ताहिर सिद्दकी, खसरा नं0 862, डी.एल.एफ., दिलशाद एक्स0-2, गली नं0 1, राजीव कालोनी, भौपुरा, साहिबाबाद, गाजियाबाद का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 09-07-2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त दोनों इकाइयॉं संचालित नहीं पायी गयी। मौके पर उपस्थित विधुत विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्रांक 1939/ओ.ए. नं0 347/2019 दिनांक 06-07-19 एवं 1940/ओ.ए. नं0 347/2019 दिनांक 06-07-19 के क्रम में दोनों इकाइयों का विधुत विच्छेदन किया गया।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Anshul 09.07.19	09/7/19	09/07/2019
(अंशुल शर्मा)	(रंजीत सिंह)	(निरंजन कुमार)
अवर अभियंता	अवर अभियंता	अवर अभियंता
उ0प्र0प्र0नि0बो0	उ0प्र0प्र0नि0बो0	विधुत विभाग
गाजियाबाद।	गाजियाबाद।	गाजियाबाद।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0

Ref. No H-30828/सी–1/NGT-72 /2019

दिनॉक
Date - 12/07/2019

सेवा में,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

विषयः– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.07.2019 को पारित आदेश के संबंध में।**

महोदया,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.07.2019 को पारित निम्न आदेश का अवलोकन करना चाहें, आदेश का मुख्य अंश निम्नानुसार हैः–

"................................. 4. In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committee of the District Magistrate, Ghaziabad, Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Uttar Pradesh State PCB and the Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure restoration of the park at the earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within one week to take stock of the situation and plan execution of this order. This will be in addition to prosecution and recovery of compensation for the damages to the environment. In this respect also, a report may be furnished by the Uttar Pradesh State PCB by email at judicial-ngt@gov.in...................

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन हेतु गाजियाबाद में बैठक के आयोजन हेतु तिथि एवं समय से शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी गाजियाबाद से सम्पर्क कर बैठक का आयोजन सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

4

संदर्भ संख्या : 2159/OA No 347/19/5 दिनांक 17-7-19

सेवा में,

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. उपजिलाधिकारी सदर, गाजियाबाद।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 के सम्बन्ध में बैठक।

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2019, छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है:–

".................In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committee of the District Magistrate, Ghaziabad, Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Uttar Pradesh State PCB and the Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure restoration of the park at the earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within one week to take stock of the situation and plan execution of this order. This will be in addition to prosecution and recovery of compensation for the damages to the environment. In this respect also, a report may be furnished by the Uttar Pradesh State PCB by email at judicial-ngt@gov.in........."

उक्त आदेश के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों की बैठक आयोजित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद से आज दिनांक 17.07.2019 को सम्पर्क किया गया। प्रकरण की समीक्षा एवं अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा सम्बन्धित विभागों की **एक बैठक दिनांक 20.07.2019 को समय 12:00 बजे कलेक्टेट सभागार, गाजियाबाद मे** आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में अपने विभाग से सम्बन्धित अभिलेखों सहित उक्त बैठक मे प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. उपाध्यक्ष महोदया, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को दिनाक 17.07.2019 को हुई वार्ता के अनुक्रम में इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक मे सम्बन्धित अधिकारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।
2. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त बैठक मे सम्बन्धित अधिकारी को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनउ को उनके पत्र संख्या एच–38828/सी–1/एन0जी0टी0–72/2019 दिनांक 12.07.2019 के अनुक्रम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अक्ष्यक्षता में बैठक का कार्यवृत्त।

5

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अक्ष्यक्षता में दिनांक 20.07.2019 को जिलाधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद के कक्ष मे बैठक आहुत की गयी। बैठक में नगर आयुक्त, नगर निगम, अपर जिलाधिकारी नगर, उपजिलाधिकारी, सदर, प्रभारी अधिकारी, प्रवर्तन जोन-8, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद उपस्थित थें। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा बैठक मे उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे दिनांक 04.07.2019 को आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत हैः-"..........In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committee of the District Magistrate, Ghaziabad, Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Uttar Pradesh State PCB and the Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure restoration of the park at the earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within one week to take stock of the situation and plan execution of this order. This will be in addition to prosecution and recovery of compensation for the damages to the environment. In this respect also, a report may be furnished by the Uttar Pradesh State PCB by email at judicial-ngt@gov.in........"

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त वाद डी0एल0एफ0 दिलशाद एक्सटेंशन-2, राजीव कॉलोनी, भौपुरा साहिबाबाद, गाजियाबाद मे स्थापित पार्क पर अतिक्रमण को हटाने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसमे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 29.03.2019 को आदेश पारित किये गये थे कि उक्त क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा करते हुए आख्या मा0 अधिकरण में उपलब्ध करायी जाएें। तत्क्रम में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 04.05.2019 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रश्नगत क्षेत्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शे में पारदर्शित है, जिस पर 09 अवैध अतिक्रमण एवं 02 अवैध उधोग संचालित पाऐं गयें।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित दोनों अवैध उधोगों का विधुत विच्छेदन दिनांक 09.07.2019 को कराते हुए दोनों उधोगों को बन्द करा दिया गया है, वर्तमान मे दोनों उधोग बन्द है। बैठक मे उपस्थित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत पार्क के क्षेत्र की पैमाईस जिला प्रशासन द्वारा किया जाना उचित होगा, जिस पर जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पार्क गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतः पैमाईस कराये जाने का कोई औचित्य नही है। बैठक मे विचार बिमर्श के पश्चात जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निम्न निर्देश जारी किए गयेः-

1. गजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने मानचित्र में उक्त क्षेत्र सम्बन्धी नक्शा प्राप्त करते हुए पार्क में हुए अवैध अतिक्रमण को समयान्तर्गत हटाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाऐं।

कार्यवाही-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

2. गजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की तिथि नियत करते हुए सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाऐं, जिससे की संयुक्त निरीक्षण समयान्तर्गत करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सकें।

कार्यवाही-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

E: Letters 2019.doc (P2)

Scanned by CamScanner

3. उपजिलाधिकारी, सदर द्वारा नियत तिथि में आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाऐं।

कार्यवाही–उपजिलाधिकारी, सदर गाजियाबाद

4. अतिक्रमण हटाने के पश्चात मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त पार्क के रि–स्टोरेशन का कार्य सुनिश्चित कराने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाऐं एवं कार्य योजना के अनुसार ससमय पार्क को रि–स्टोर किया जाना सुनिश्चित किया जाऐं।

कार्यवाही–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अन्त मे जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उपरोक्त वाद मे पारित आदेशों का समयान्तर्गत एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश के साथ धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्रांक 2270 /एन0जी0टी0/ओ0ए0–347/19 दिनांक 23.7.19

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को कार्यवाही हेतु।

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3. अपर जिलाधिकारी, नगर, गाजियाबाद।
4. उपजिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

Scanned by CamScanner

(6)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः / /2019

सेवा में,

श्री ताहिर सिद्दकी आदि,
624, गली नं0–1, राजीव नगर,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कृते जिलाधिकारी गाजियाबाद

विषय :खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से संम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

358(V)/II

पृष्ठांकन /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः 23/7/2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः / /2019

7935/ERK

A.R.M.CITY

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कृते जिलाधिकारी गाजियाबाद

सेवा में,

श्री मुन्ने मन्सूरी,
ए–202, राजीव कालोनी, भोपुरा,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

विषय :खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 358(IV)II /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः 23/7/2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: /2019

सेवा में,

श्री चन्दर सिंह कसाना,
प्लाट नं0–3, व 4, (C-Shop) डी0एल0एफ0,
दिलशाद एक्स0–2,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

7934/ER कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कृते जिलाधिकारी गाजियाबाद

विषय : खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क एवं रोड़ को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क एवं रोड़ की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 358(11)/II /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: 23/7/2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: / /2019

सेवा में,

श्री सेवा राम पुत्र श्री विसम्भर,
प्लाट नं0–1 व 2, (C-Shop) डी0एल0एफ0,
दिलशाद एक्स0–2,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

7933 कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद

विषय : खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क एवं रोड़ को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क एवं रोड़ की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 358(iii)/II /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: 23/7 /2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः /प्रवर्तन जोन–8/2019-20

दिनाँकः / /2019

सेवा में,

श्री प्रवेज पाशा,
प्लाट नं0–4, डी0एल0एफ0 कालोनी,
दिल्ली भौपुरा रोड़,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

7932/ERK
A.D.M. City
कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कृते जिलाधिकारी गाजियाबाद

विषय : खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क एवं रोड़ को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क एवं रोड़ की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 357(1)/II /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः 23/7 /2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
विकास पथ, गाजियाबाद।
(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः 18/07/2019

सेवा में,

श्री जांवेद पाशा,
प्लाट नं0–5, 6 व 7, डी0एल0एफ0 कालोनी,
दिल्ली भौपुरा रोड़,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

7931 ... कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कृते जिलाधिकारी गाजियाबाद

विषय :खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क एवं रोड़ को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय कों अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क एवं रोड़ की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोंन–8

पृष्ठांकन 358/II/प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः 23/7/2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19

प्रभारी प्रवर्तन जोंन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
विकास पथ, गाजियाबाद।
(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: / /2019

सेवा में,

श्री उमेश जैन,
ए–89, राजीव कालोनी, भोपुरा,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

7930 | EAK
ADM C
कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कृते जिलाधिकारी गाजियाबाद
9-9-19

विषय :खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 357(IV)/II /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: 23/7/2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: / /2019

सेवा में,

मौ0 आलम,
ए–123, राजीव कालोनी, भोपुरा,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

7929 | EAR
कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कृते जिलाधिकारी गाजियाबाद

विषय :खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 की पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 357(II)/II /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: 23 / 7 /2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

27/07/19

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: / /2019

7928/ER/6

ADM City

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कृते जिलाधिकारी

सेवा में,

श्री शमशाद,
ए–93, राजीव कालोनी, भोपुरा,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

विषय :खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 357(V)/प्र /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: 23/7/2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. ज़िलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः / /2019

7927/ERV

सेवा में,

श्री अजय पाल,
राजीव कालोनी, पसौंडा,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद

विषय :खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 357/(III)/II /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः 23/7/2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: / /2019

7926 ER

A. MCITY

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कृते जिलाधिकारी गाजियाबाद

सेवा में,

श्री धमेन्द्र, हंसराज, रामवीर व विनोद,
राजीव कालोनी, भोपुरा,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

विषय :खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिबस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 357/II /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: 23/7 /2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/2019

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
विकास पथ, गाजियाबाद।
(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: /प्रवर्तन जोन–8/2019-20

दिनाँक: / /2019

ADM city
कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
7925/ERK
कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद

सेवा में,

मौ0 असलम,
ए–89, राजीव कालोनी, भोपुरा,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

विषय :खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 357(N)/II /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: 23/7/2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19
प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

27719

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
विकास पथ, गाजियाबाद।
(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: / /2019

सेवा में,

श्री राम पाल, विनोद व जितेन्द्र,
राजीव कालोनी, भोपुरा,
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कृते जिलाधिकारी गाजियाबाद

विषय :खसरा संख्या–852 डी0एल0एफ0 दिलशाद गार्डन एक्स0–2 के पार्क में अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है–

"In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committe of the District Magistrate Ghaziabad, Vice chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Utter Pradesh state PCB and Municipal Commissinor, Ghaziabad to ensure restoration of the park at tha earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh state PCB will be tha nodal agency for coordination and compliance. The commitee may meet within on week to take stock of the situation for the damages to the enviroment. In this respect also a report may be furnished by the Uttar Pradesh PCB by email at judicialngt@gov.in"

उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में पार्क को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए अद्यतन स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना हैं। इस तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर पार्क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त कराते हुए स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी कार्य दिवस में प्रश्नगत कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से सम्पादित करा दी जायेगी। जिसमें हुए व्यय की वसूली आपसे की जायेगी तथा प्रश्नगत कार्यवाही में किसी प्रकार की हानि/क्षति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 357(i)/II /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँक: 23/7/2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।

23/07/19
प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

7

संदर्भ संख्या : 2703/08 AW 347/19

दिनांक 5-8-19

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 347/2019 हरिकिशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 347/2019 हरिकिशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

"..In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committee of the District Magistrate, Ghaziabad, Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Uttar 2 Pradesh State PCB and the Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure restoration of the park at the earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within one week to take stock of the situation and plan execution of this order. This will be in addition to prosecution and recovery of compensation for the damages to the environment. In this respect also, a report may be furnished by the Uttar Pradesh State PCB by email at judicial-ngt@gov.in....................."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2019 को सम्बन्धित विभागो के अधिकारियो की उपस्थिति में बैठक आहुत की गयी, बैठक का कार्यवृत संलग्न है। बैठक में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा स्वीकृत पार्क में हुये अवैध अतिक्रमण को समयान्तर्गत हटाये जाने एवं उक्त पार्क को रि–स्टोर किये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अभी तक उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आख्या इस कार्यालय को प्राप्त नही हुयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 347/2019 हरिकिशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या एक सप्ताह में इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें।

उक्त वाद की अग्रिम तिथि 16.09.2019 नियत है।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

Scanned by CamScanner

(8)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 के अनुपालन के संबंध में आख्या ।

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है:–

"..................In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committee of the District Magistrate, Ghaziabad, Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Uttar Pradesh State PCB and the Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure restoration of the park at the earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within one week to take stock of the situation and plan execution of this order. This will be in addition to prosecution and recovery of compensation for the damages to the environment. In this respect also, a report may be furnished by the Uttar Pradesh State PCB by email at judicial-ngt@gov.in........."

उक्त आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित विभागों के साथ एक बैठक जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 20–07–19 को आहुत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रश्नगत पार्क में अवैध अतिक्रमण को समयान्तर्गत हटाये जाने एवं पार्क को री–स्टोर किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में कार्यालय के पत्र दिनांक 05–08–19 द्वारा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पार्क में हुए अतिक्रमण को हटाये जाने एवं पार्क को रिस्टोर किये जाने के संबंध में की गयी कार्यवाही आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया था। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 02–08–19 के माध्यम से विशेष कार्याधिकारी विधि, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सूचित किया गया है कि पार्क की भूमि पर अवैध निर्माणकर्ताओं को अध्यसान मुक्त करने हेतु नोटिस निर्गत किये गये है। अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त होने के पश्चात नगर निगम, गाजियाबाद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, गाजियाबाद एवं पुलिस बल के संयुक्त प्रयास से अतिक्रमण को ध्वस्त कराने के उपरान्त पार्क को रिस्टोर किये जाने की कार्यवाही अतिशीध्र की जायेगी। उक्त कार्यवाही किये जाने हेतु विशेष कार्याधिकारी विधि, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 एन.जी.टी. से समुचित समय प्राप्त करने हेतु अनुरोध किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त पत्र की एक प्रति इस कार्यालय में जिला प्रशासन के माध्यम से प्राप्त हुई है।

मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 04–07–19 को पार्क में अतिक्रमण हटाने एवं पार्क को रिस्टोर करने की कार्यवाही एक माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसकी समयावधि वर्तमान मे समाप्त हो चुकी है।

अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा उक्त क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 28.08.2019 को किया गया । निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि उक्त पार्क में अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अध्यासन मुक्त नहीं किया गया है। जिस कारण मा. एन.जी. टी. द्वारा गठित सयुक्त समिति द्वारा आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जा सका है। उक्त क्षेत्र में पूर्व में अवैध रूप से संचालित 02 उधोग को बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किये जा चुके है जिसके अनुपालन में दोनों उद्योग निरीक्षण के दौरान बंद पाए गए है । ।निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ निम्नवत है :–

Scanned by CamScanner

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस के अनुपालन में उक्त पार्क में अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अध्यासन मुक्त नहीं होने के कारण मा. एन.जी. टी. द्वारा गठित सयुक्त समिति द्वारा आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जा सका है। अतः उक्त के अनुक्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–07–19 का अनुपालन सुनिचश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय स्तर से आवश्यक निर्देश जारी किया जाना उचित होगा।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(रंजीत सिंह)	**(बी.के. सिंह)**
अवर अभियंता	सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

विकास पथ, गाजियाबाद।
(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः / /2019

विशेष कार्याधिकारी–प्रभारी विधि,

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 04.07.2019 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 04.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत प्रश्नगत पार्क को अतिक्रमण/अनाधिकृत अवैध निर्माण से मुक्त कराते हुए पार्क को पूर्वावस्था में किया जाना है, के तत्क्रम में पार्क की भूमि पर अवैध निर्माणकर्ताओं को अध्यासन मुक्त करने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के तहत वाद योजित करते हुए नोटिस निर्गत किये गये है। अवैध निर्माण को अध्यासन मुक्त होने के पश्चात् अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की तिथि नियत करते हुए पुलिस बल गाजियाबाद, प्रशासन गाजियाबाद, नगर निगम, गाजियाबाद एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से ध्वस्त कराने के उपरान्त पार्क को पूर्वावस्था में लायें जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

अतएवं उपरोक्तानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के वादों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उपरोक्त कृत कार्यवाही से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को तत्काल अवगत कराते हुए प्रश्नगत पार्क के अध्यासन मुक्त होने के परिप्रेक्ष्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से समुचित समय प्राप्त करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(सक्षम प्राधिकारी)
प्रवर्तन जोन–8

पृष्ठांकन 383 /प्रवर्तन जोन–8/2019-20 दिनाँकः 2/8/2019

प्रतिलिपि–

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
4. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 04.07.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सचिव महोदय को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सादर अवलोकनार्थ।
6. सहायक अभियन्ता एवं अपर अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि जी0डी0ए0 के पैनल अधिवक्ता–एन0जी0टी0 से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उपरोक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

02/08/19
(सक्षम प्राधिकारी)
प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद

10

पत्रांक 2376/एस0टी0–डी0एम0/2019 दिनांक 06-09-2019

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदया,

कृपया मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है:–

"..................In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committee of the District Magistrate, Ghaziabad, Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Uttar Pradesh State PCB and the Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure restoration of the park at the earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within one week to take stock of the situation and plan execution of this order. This will be in addition to prosecution and recovery of compensation for the daimages to the environment. In this respect also, a report may be furnished by the Uttar Pradesh State PCB by email at judicial-ngt@gov.in........."

उक्त आदेश के अनुपालन में आप द्वारा नामित प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियावाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के साथ एक बैठक अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 20–07–19 को आहुत की गयी। बैठक का कार्यवृत्त आपको पूर्व मे प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति पुनः संलग्न है। बैठक में प्रश्नगत पार्क में अवैध अतिकमण को समयान्तर्गत हटाये जाने एवं पार्क को री–स्टोर किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। आपके कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 02–08–19 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि पार्क की भूमि पर अवैध निर्माणकर्ताओं को अध्यसान मुक्त करने हेतु नोटिस निर्गत किये गये है। अवैध निर्माण को अध्यसान मुक्त होने के पश्चात नगर निगम, गाजियावाद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन, गाजियाबाद एवं पुलिस बल के संयुक्त प्रयास से अतिकमण को ध्वस्त कराने के उपरान्त पार्क को रिस्टोर किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्यवाही किये जाने हेतु आपके विभाग द्वारा मा0 एन.जी.टी. से समुचित समय प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

मा0 एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 04–07–19 को पार्क में अतिकमण हटाने एवं पार्क को रिस्टोर करने की कार्यवाही एक माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसकी समयावधि वर्तमान मे समाप्त हो चुकी है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराये गये निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि उक्त पार्क में अवैध निर्माण कर्ताओं द्वारा अध्यासन मुक्त नही किया गया है, जिस कारण मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नही कराया जा सका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि गाजियावाद विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–07–19 का पूर्णतः अनुपालन सुनिचश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
गाजियावाद।

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी गोपनीय / महत्वपूर्ण

गाजियाबाद।

पत्रांक 2377/ST-DM/2019

दिनांकः 06-09-2019

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04-07-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसका मुख्य अंश निम्नवत है- "...............In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committee of the District Magistrate, Ghaziabad, Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Uttar 2 Pradesh State PCB and the Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure restoration of the park at the earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within one week to take stock of the situation and plan execution of this order. This will be in addition to prosecution and recovery of compensation for the damages to the environment. In this respect also, a report may be furnished by the Uttar Pradesh State PCB by email at judicial-ngt@gov.in.........."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 04-07-2019 को प्रश्नगत पार्क में अतिक्रमण हटाने एवं पार्क को रिस्टोर करने की कार्यवाही एक माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे एवं उक्त कार्य के अनुपालन हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जिलाधिकारी गाजियाबाद, उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ की समिति का गठन किया गया है। इसी कम में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 20-07-2019 को संबंधित विभागों की बैठक आहूत की गयी थी एवं पार्क रिस्टोरेशन के कार्य को पूर्ण करने हेतु अवैध अतिक्रमण को समयान्तर्गत हटाये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इसी कम में क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद द्वारा पत्र दिनांक 05-08-2019 जोकि अधोहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित है, के माध्यम से भी आपको उक्त प्रकरण में कार्यवाही से अवगत कराये जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।

नवीनतम निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि पार्क में अवैध निर्माण कर्ताओं द्वारा अध्यासन मुक्त नहीं किया गया है जिस कारण मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन गठित संयुक्त समिति द्वारा सुनिश्चित नहीं कराया जा सका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित न होने के दृष्टिगत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये इस संबंध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त सूचना से मा0 अधिकरण को अवगत कराया जा सके।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Scanned by CamScanner

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अक्ष्यक्षता में दिनांक 11.09.2019 को आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अक्ष्यक्षता में दिनांक 11.09.2019 को जिलाधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद के कक्ष मे बैठक आहुत की गयी। बैठक में श्री आदित्य प्रजापति, उपजिलाधिकारी, सदर, श्री श्लोक कुमार, एस0पी0 (सिटी), गाजियाबाद, श्री एस0के0 गौतम, जोनल ऑफिसर, नगर निगम, मोहन नगर, श्री संजय कुमार, ओ0एस0डी0, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद उपस्थित थें। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा बैठक मे उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 347/2019 हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य मे दिनांक 04.07.2019 को आदेश पारित किये गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:–"**..........In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committee of the District Magistrate, Ghaziabad, Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Uttar Pradesh State PCB and the Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure restoration of the park at the earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within one week to take stock of the situation and plan execution of this order. This will be in addition to prosecution and recovery of compensation for the damages to the environment. In this respect also, a report may be furnished by the Uttar Pradesh State PCB by email at judicial-ngt@gov.in........"**

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त वाद डी0एल0एफ0 दिलशाद एक्सटेंशन–2, राजीव कॉलोनी, भौपुरा साहिबाबाद, गाजियाबाद मे स्थापित पार्क पर अतिक्रमण को हटाने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसमे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 29.03.2019 को आदेश पारित किये गये थे कि उक्त क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा करते हुए आख्या मा0 अधिकरण में उपलब्ध करायी जाऐं। तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 04.05.2019 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि प्रश्नगत क्षेत्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शे में पारदर्शित है, जिस पर 09 अवैध अतिक्मण एवं 02 अवैध उधोग संचालित पाऐं गयें।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित दोनों अवैध उधोगों का विधुत विच्छेदन दिनांक 09.07.2019 को कराते हुए दोनों उधोगों को बन्द करा दिया गया था, वर्तमान मे दोनों उधोग बन्द है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पार्क की भूमि पर अवैध निर्माणकर्ताओं को अध्यसान मुक्त करने हेतु नोटिस निर्गत किये गये है। अवैध निर्माण को अध्यसान मुक्त होने के पश्चात आवश्यक पुलिस बल के संयुक्त प्रयास से अतिक्मण को ध्वस्त कराने के उपरान्त पार्क को रि–स्टोर किये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 एन0जी0टी0 से समुचित समय प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त के सम्बन्ध में बैठक मे उपस्थित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत पार्क के क्षेत्र की पैमाईस करा ली गयी है एवं आवश्यक पुलिस बल प्राप्त होते ही अतिक्मण को हटाने की कार्यवाही समायान्तर्गत

Scanned by CamScanner

सुनिश्चित की जायेगी, उनके द्वारा सूचित किया गया कि आवश्यक पुलिस बल प्राप्त करने हेतु पुलीस अधीक्षक, (नगर), गाजियाबाद से अनुरोध किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मे अर्थला क्षेत्र मे अतिक्रमण हटाने एवं गणेश चर्तुथी पर्व मे अधिक पुलिस बल आंवटित किया गया है। उक्त कार्यवाही हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

1. गजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराई गई पैमाईस के अनुसार अवैध अतिक्रमण को आवश्यक पुलिस बल के साथ गणेश चतुर्थी पर्व के पश्चात समयान्र्तगत हटाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाऐं।

कार्यवाही–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

2. गजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की तिथि नियत करते हुए सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाऐं, जिससे की संयुक्त निरीक्षण समयान्तर्गत करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सकें।

कार्यवाही–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

3. पुलिस अधीक्षक, नगर एवं उपजिलाधिकारी, सदर द्वारा नियत तिथि में आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाऐं।

कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, नगर / उपजिलाधिकारी, सदर गाजियाबाद

4. अतिक्रमण हटाने के पश्चात मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त पार्क के रि–स्टोरेशन का कार्य सुनिश्चित कराने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाऐं एवं कार्य योजना के अनुसार ससमय पार्क को रि–स्टोर किया जाना सुनिश्चित किया जाऐं।

कार्यवाही–गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अन्त मे जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उपरोक्त वाद मे पारित आदेशों का समयान्तर्गत एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश के साथ धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पत्रांक 3407 /एन0जी0टी0/ओ0ए0–347/19 **दिनांक** 13-9-19

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को कार्यवाही हेतु।

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3. पुलिस अधीक्षक–नगर, गाजियाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी, नगर, गाजियाबाद।
5. उपजिलाधिकारी, सदर, गाजियाबाद।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

Scanned by CamScanner

(12)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No H41302 /सी–1/NGT-72 /2019

दिनांक / Date 13/9/

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–347/2016 हरि किशन बनाम उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 04.07.2019 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–347/ 2016 हरि किशन बनाम उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 04.07.2019 को पारित आदेशों (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसका सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"................ 4. In view of seriousness of the matter, we constitute a joint committee of the District Magistrate, Ghaziabad, Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, SSP, Ghaziabad, Member Secretary, Uttar Pradesh State PCB and the Municipal Commissioner, Ghaziabad to ensure restoration of the park at the earliest but positively within one month from today. Uttar Pradesh State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance. The Committee may meet within one week to take stock of the situation and plan execution of this order. This will be in addition to prosecution and recovery of compensation for the damages to the environment. In this respect also, a report may be furnished by the Uttar Pradesh State PCB by email at judicial-ngt@gov.in...........

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु समस्या के समाधान के लिए बैठक के आयोजन हेतु जिलाधिकारी गाजियाबाद को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र संख्या एच–38828/सी–1/एनजीटी–72/2019 दिनांक 12.07.2019 प्रेषित किया गया था। उक्त के कम में जिलाधिकारी की बैठक दिनांक 20.07.2019 (कार्यवृत्त की प्रति संलग्न) में निर्णय लिया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पार्क में हुए अवैध अतिक्रमण को समयान्तर्गत हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पार्क के रिस्टोरेशन का कार्य ससमय सुनिश्चित कराया जाए, परन्तु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.08.2019 को किए गए निरीक्षण में पाया गया कि उक्त पार्क में अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अध्यासन मुक्त नहीं किया गया है। उक्त क्षेत्र में पूर्व में अवैध रूप से संचालित 02 उद्योगों को जिला प्रशासन के सहयोग से बन्द करा दिया गया है, जो निरीक्षण के समय बन्द पाये गए। पार्क से अतिक्रमण मुक्त न कराये जाने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पार्क का रिस्टोरेशन नहीं किया जा सका है।

Scanned by CamScanner

उक्त ओ0ए0 संख्या 347/2019 में आई0ए0 नं0–491/2019 एवं 492/2019 दाखिल की गई थी, जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 27.08.2019 को उक्त दोनों आई0ए0 को निरस्त करते हुए निम्न आदेश पारित किए गए हैं:–

"............3. It may be noted that restoration of the park is statutory duty of the concerned local authorities. All that this Tribunal has directed is to require the statutory authorities to perform their duties in accordance with law. This Tribunal has not adjudicated any individual dispute. There is thus no occasion for the Tribunal to hear the applicants who claim that they are not encroachers. If they are aggrieved by any order of the statutory authorities, they have to challenge the same at appropriate forum and not before this Tribunal. It is not the case of the applicants that this Tribunal should not require the statutory authorities to remove encroachment. There is thus no justification to seek stay of the order of this Tribunal dated 04.07.2019, requiring enforcement of law.

I.A No. 491 and 492 are accordingly dismissed."

मा0 एन0जी0टी0 में उक्त प्रकरण पर दिनांक 16.09.2019 को सुनवाई हेतु तिथि नियत है। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेन्सी है एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 04.07.2019 के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या दाखिल किया जाना है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 347/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी गाजियाबाद की बैठक दिनांक 20.07.2019 में लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में अवैध अतिक्रमण/अध्यासन से संदर्भित पार्क को मुक्त कराते हुए पार्क का रिस्टोरेशन कराया जाना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद।
4. क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

सदस्य सचिव

10/9/19

Scanned by CamScanner